



## निकोबार राजपत्र

## Nicobar Gazette

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

प्राधिकार से प्रकाशित

**Published by Authority** 

सं. 23, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 27 जनवरी, 2010 No. 23, Port Blair, Wednesday, January 27, 2010

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

<u>सचिवालय</u> अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक, 27 जनवरी, 2010

सं. 20/2010/फा. सं. 3-27/2008-पी.आर.(पी.एफ.).—चूँकि अण्डमान तथा निकोबार (पंचायत प्रशासन) नियमावली 2009 दिनांक 1.12.2009 और दिनांक 3.12.2009 को 30 दिनों के भीतर आपित्त/सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ।

और चूँकि उक्त मसौदा नियमावली पर आम जनता, पंचायती राज संस्थानों आदि से कोई सुझाव या अपित्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं ।

अत: अब अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 की सं. 1) की धारा 202(1) के तहत प्रदत्त शक्तितयों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्द्वारा दिनांक 19.9.1997, की अधिसूचना संख्या 131/97 के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत प्रशासन) नियमावली 1997 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :

- 1. । इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत प्रशासन) (तीसरा संशोधन) नियमावली 2010 कहा जा सकेगा ।
  - ii ये इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अध्याय XI में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पंचायत प्रशासन नियमावली 1997 के नियम 42 के उप नियम (2) के बाद उप नियम (3) सम्मिलित किया जाएगा ।
- 3. जब कभी पंचायत के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो पंचायत के उपाध्यक्ष जब तक पंचायत के नए अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक के लिए अध्यक्ष की शिक्तयों का प्रयोग करेगा और अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करेगा । यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो पंचायत के संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शिक्तयों और कार्यों का प्रयोग किया जाएगा । "पंचायत" शब्द ग्राम पंचायत, पंचायत सिमित तथा जिला परिषद् में शामिल होगा ।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./-

(शशिकला विश्वनाथन) संयुक्त सचिव (पंचायत)

## ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION SECRETARIAT

## NOTIFICATION

Port Blair, dated the 27th January, 2010

No. 20/2010/F. No. 3-27/2008/PR(PF).—WHEREAS the draft Andaman & Nicobar (Panchayat Administration) (3<sup>rd</sup> Amendment) Rules, 2009 were published on 01.12.2009 and 03.12.2009 inviting suggestions and objections within a period of 30 days.

AND WHEREAS, no suggestions or objections have been received by the A & N Administration on the said draft rules.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 202(1) of the & N Islands (Panchayat) Regulation, 1994 (No. 1 of 1994), I, Bhopinder Singh, Lt. Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands hereby make the following amendments to the Andaman & Nicobar Islands (Panchayat Administration) Rules 1997, published in the Official Gazette vide Notification No. 131/97 dated 19.09.97, namely:-

- (1) (i) These rules may be called the Andaman & Nicobar Islands (Panchayat Administration) (3rd Amendment) Rules, 2010.
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In Chapter XI, after sub rule (2) of rule 42 of the Andaman & Nicobar Islands (Panchayat Administration) Rules, 1997 the following shall be inserted as sub-rule (3).
- (3) Whenever the office of the Chairperson of a Panchayat is vacant, the Vice-Chairperson of the Panchayat shall exercise the powers and functions of the Chairperson until a new Chairperson assumes office. In case both the office of Chairperson or Vice Chairperson of the Panchayat are vacant, the powers and functions of the Chairperson may be exercised by any member of the Panchayat duly authorized by a resolution of the Panchayat. The term 'Panchayat' shall include Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-

(Sasikala Viswanathan)

Joint Secretary (Panchayat)